छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सी.एस.पी.जी.सी.एल.) के द्वारा पूँजीगत निवेश योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2024–25 के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका क्र.73/2021 प्रस्तुत की गई है। याचिका में लगभग रु. 117 करोड़ की विभिन्न पूँजीगत योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

उपर्युक्त याचिका की प्रतियाँ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के कार्यालय कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले), सी.एस.पी.जी.सी.एल., डंगनिया रायपुर के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर, रायपुर–492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति किसी भी कार्य दिवस में रूपये 50/–का भुगतान कर सुबह 11:00 बजे से 4:00 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रु. 50/–(डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। इस आम सूचना एवं याचिका की प्रति कंपनी की वेबसाईट (www.cspc.co.in) के साथ–साथ आयोग की वेबसाईट (www.cserc.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

उपर्युक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव इस आम सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर सचिव, छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर, रायपुर–492001 एवं/अथवा कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले), सी.एस.पी.जी.सी.एल., डंगनिया रायपुर–492013 के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। सुझाव/आपत्ति की अग्रिम प्रति ई–मेल द्वारा ई–मेल आई.डी. cserc.sec.cg@nic.in एवं/अथवा ce.cnp @gmail.com पर भी भेजी जा सकती है।

कार्यपालक निदेशक (सी. एण्ड आर.ए.)
सी.एस.पी.जी.सी.एल., रायपुर

"स्वहित एवं राष्ट्र हित में ऊर्जा बचायें।

SIZE 12X2